फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

अनवान – सोहनलाल बनाम सरकार

किस्म मुकदमा :- 88,209 RTA प्रकरण सं. :- 220/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
18.03.25	पत्रावली वास्ते रिपोर्ट पेश हुई। [illegible] [illegible] किया जाता है। विस्तृत रिपोर्ट [illegible] अलग से लिखित [illegible] शामिल किया जावे। [illegible] [illegible]। रिपोर्ट [illegible] जावे। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	GCMS 2023/214

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.21 19:37:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संदीप कुमार आर. ए.एस.

प्रकरण संख्या 228/2023 GCMS:- 2023/214 **दायरा दिनांक : 24.08.2023**

सोहनलाल पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी चक 6 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भूमिधारी – प्रतिवादी

उपस्थिती : एडवोकेट सुरेन्द्र सुथार – वादी
तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ – प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,209 आर.टी.ए. एंव 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय **दिनांक : 18.03.2025**

पत्रावली पेश हुई। वादी के अभिभाषक उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में विचारण तथ्य यह है कि वादी के द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,209 धारा 88,209 आर.टी.ए. एंव 136 एल.आर. एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के नाम से चक 7 एस.जी.आर. 'बी' के खाता नं. 170/118 के पत्थर नं. 19/306 (28) के किला नं. 6/1 में 0.190 है0, 14 में 0.253 है0, 17 में 0.253 है0, 24 में 0.253 है0 = 0.949 है0 नहरी भूमि में से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसमें वादी का नाम मोहनलाल पुत्र मनीराम नाम अंकित है। रकबा की जमाबंदी में वादी का नाम मोहनलाल पुत्र मनीराम नाम दर्ज है। जबकि वादी का वास्तविक नाम सोहनलाल पुत्र मनीराम नाम है। इसी क्रम में वादी को उक्त भूमि वादी के पक्ष में वादी की भूआ रामेश्वरीदेवी, गोमतीदेवी, जमनादेवी, गीता आदि ने प्रश्नगत सम्पति के सम्बंध में अपने हिस्से का परित्याग वादी के पक्ष में किया हुआ है जिसमे वादी का नाम सोहनलाल नाम दर्ज है इस प्रकार वादी का सही नाम सोहनलाल ही है और वादी को सोहनलाल पुत्र मनीराम के नाम से जाना पुकारा जाता है जबकि वादी का नाम सहवन से मोहनलाल दर्ज हुआ है व वादी के अन्य दस्तावेजों में वादी का नाम आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, पैन कार्ड, सरंपच ग्राम पंचायत चक 6 एल.एन.पी. में सोहनलाल पुत्र मनीराम नाम दर्ज है। वाद पत्र में अंकित रकबा चक 7 एस.जी.आर. 'बी' के खाता नं. 170/118 के पत्थर नं. 19/306 (28) के किला नं. 6/1 में 0.190 है0, 14 में 0.253 है0, 17 में 0.253 है0, 24 में 0.253 है0 = 0.949 है0 नहरी भूमि में से 1/3 हिस्सा खातेदारी भूमि में साधारण बोलचाल की भाषा के अनुसार मोहनलाल पुत्र मनीराम नाम दर्ज हुआ है जबकि वादी का सही नाम सोहनलाल पुत्र मनीराम है। जो आधारकार्ड पैनकार्ड, जनआधार कार्ड, से पूर्णतया साबित होता है कि वादी का सही नाम सोहनलाल है। वादी का नाम चक 7 एस.जी.आर. 'बी' के खाता नं. 170/118 के पत्थर नं. 19/306 (28) के किला नं. 6/1 में 0.190 है0, 14 में 0.253 है0, 17 में 0.253 है0, 24 में 0.253 है0 = 0.949 है0 नहरी भूमि में से 1/3 हिस्सा खातेदारी भूमि में मोहनलाल पुत्र मनीराम दर्ज है, के स्थान पर सोहनलाल पुत्र मनीराम दर्ज किये जाने का वादपंत्र प्रस्तुत किया। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सोहनलाल पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी चक 6 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर नाम दुरूस्ती की प्रार्थना की। यह प्रार्थनापत्र तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष पेश किया गया व उनके द्वारा बाद रिपोर्ट पटवारी उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित किया गया है। जो कि सलंग्न वादपत्र है। प्रकरण दर्ज होने पर नोटिस जारी हुए। नोटिस जारी होंने पर तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ की रिपोर्ट पूर्व में शामिल मिसल थी। इसलिये पत्रावली साक्ष्य वादी रखी गयी। साक्ष्य वादी एंव सहकाश्तकार सावित्री के ब्यान किये गये जो शामिल मिसल हुए। पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई।

पत्रावली वास्ते पेश होने पर अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैर प्रकरण रकबा में वादी का नाम सोहनलाल के स्थान पर मोहनलाल नाम अंकित हुआ है जो कतई गलत है जो रिकॉडेड दस्तावेज दस्तबतदारी व अन्य दस्तावेज साक्ष्यों से पूर्णतया साबित है कि वादी का नाम सोहनलाल है व हल्क पटवारी एंव तहसीलदार सूरतगढ़ की रिपोर्ट से भी पूर्णतया साबित है कि वादी का नाम मोहनलाल के स्थान सोहनलाल दर्ज किया [illegible] है।

उपरोक्त विवेचन के पश्चात बहस पर म[illegible] किया [illegible] साक्ष्य एंव सबूतों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दिये जाते है कि चक 7 [illegible] 19/306 (28) के किला नं. 6/1 में 0.190 है0, 14 में 0.253 [illegible] 0.949 है0 नहरी भूमि में से 1/3 हिस्सा खातेदारी भूमि में वादी का नाम [illegible] स्थान पर सोहनलाल पुत्र मनीराम घोषित किया जाता है इस आशय की पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। [illegible]वली तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 18.03.2025 को सरे इ[illegible]स सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.21 19:37:10 IST
Reason: SelfAttested

(ओ.21 रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

(बइजलास :– संदीप कुमार आर.ए.एस.)

–: अनवान :–

सोहनलाल पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी चक 6 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भूमिधारी **– प्रतिवादी**

वाद पत्र धारा 88, 209 आर.टी.एक्ट मुकदमा नं. 228 वर्ष 2023 यह मुकदमा वास्ते इनफिलास कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी **श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार** व प्रतिवादी पैरोकार राज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

दावा वादी स्वीकार किया जाता है तथा वादाधीन भूमि चक 7 एस.जी.आर. 'बी' के खाता नं. 170/118 के पत्थर नं. 19/306 (28) के किला नं. 6/1 में 0.190 है0, 14 में 0.253 है0, 17 में 0.253 है0, 24 में 0.253 है0 = 0.949 है0 नहरी भूमि में से 1/3 हिस्सा खातेदारी भूमि में वादी का नाम मोहनलाल पुत्र मनीराम के स्थान पर सोहनलाल पुत्र मनीराम घोषित किया जाता है व इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाने के आदेश दिये जातें है।

नोज --------x------ मुबलिग --------x------ बाबत --------x------ खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह --------x------ फस्दों की पालना --------x------ आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 18·03·25 को जारी किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.21 19:37:10 IST
Reason: SelfAttested